



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938

No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

**सा.का.नि. 235.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा योग्यता आदि.**— इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**— कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है। उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

**5. छूट प्रदान करने का अधिकार:**—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा, ऐसे कारणों के लिए जिन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जा सके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

**6. इसके अतिरिक्त**—इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महाप्रबंधक (वाणिज्य)	1* (2016) * कार्यभार की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, गैर-मंत्रालयीन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रूपये 78800-209200)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अवधि संविदा सहित)

भर्ती को प्रोन्नत या प्रतिनियुक्त या आमेलन के माध्यम से किए जाने के मामले में वह ग्रेड, जिसमें से कि ऐसी प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाना अपेक्षित है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा अर्द्ध शासकीय, सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारी (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित करता हो अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रूपये 67700-208700) के वेतन में 5 वर्षों की नियमित सेवा हो (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव धारित करता हो (क) <b>अनिवार्य :</b> (i) रसायन इंजीनियरिंग अथवा रसायन तकनीकी में स्नातक की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 9 वर्षों का अनुभव अथवा (ii) रसायन इंजीनियरिंग या रसायन तकनीकी में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 7 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	प्रत्येक भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p>अथवा</p> <p>(iii) रसायन शास्त्र अथवा फार्मास्यूटिकल या रसायन अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(iv) किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि तथा एम.बी.ए. या पी.जी.डी.एम.(विपणन) के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 8 वर्षों का अनुभव</p> <p><b>(ख) वांछनीय :</b></p> <p>(i) लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (लघु अवधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा इस आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर होने वाली नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से पहले जिस तारीख को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू हुई थी, नियमित आधार पर की गई सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा तत्सम रूपी वेतनमान में या ऐसे वेतनमान में की गई है, जो कि उक्त वेतनमान की सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ है। केवल उस स्थिति को छोड़कर जिसमें कि एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को एक ग्रेड पे या वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां कि यह लाभ केवल उसी पद को मिलेगा जिसके लिए बिना उन्नयन में ग्रेड पे या वेतनमान को सामान्य ढंग से प्रतिस्थापित किया गया है।</p>		
---	--	--

[फा.सं. II (17)/2/स्था./सी.सी.एफ./2013]

टी.के. सतपथी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

New Delhi, the 30th November, 2016

**G.S.R. 235.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Chief Controller, Government Opium & Alkaloid Factories (General Manager (Commercial), Government Opium & Alkaloid Factories), Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of General Manager (Commercial) in the office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, namely :-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, General Manager (Commercial), Group 'A' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in the Pay Matrix.** – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** - Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classifications	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Manager (Commercial)	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800- 209200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<b>Deputation (including short-term contract):</b> (a) Officers of the Central Government or State Government or Public Undertaking or Semi Government, Statutory or Autonomous Organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii)with five years' regular service in level 11 in pay matrix Rs. 67700-208700; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- <b>(A) Essential:</b> (i) Bachelor's Degree in Chemical Engineering or Technology	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

<p>with nine years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organization or undertaking; or</p> <p>(ii) Master's Degree in Chemical Engineering or Technology with seven years experience in matters relating to marketing or finance or production of Pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking; or</p> <p>(iii) Masters degree in Chemistry or Pharmaceuticals or Applied Chemistry with eight years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking; or</p> <p>(i) Bachelors degree in any subject plus Masters degree in Business Administration or Post Graduate Diploma in Management (Marketing) with eight years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking.</p> <p><b>(B) Desirable:</b></p> <p>Masters in Public Administration.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into a pay level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post for which that pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

[F.No. II (17)/2/Estt./CCF/2013]

T. K. SATHPATHY, Under Secy.

**संचार मंत्रालय****(दूरसंचार विभाग)**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2016

**सा.का.नि. 236.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती नियम-2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों को बेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती (संशोधन) नियम-2011 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती नियम-2011 में,-

- (1) नियम 2 में, जिन दो स्थानों पर “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान” शब्दों का उल्लेख किया गया है उन दोनों स्थानों पर इन शब्दों को “पे मैट्रिक्स में स्तर” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) मद (4) की अनुसूची में,-
  - (क) शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्  
“पे मैट्रिक्स में स्तर”;
  - (ख) प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्  
“स्तर-1 (18000-56900)”.

[मिसिल सं. ए-12015/01/2010-प्रशासन (भाग)]

विनय चौधरी, उप सचिव (प्रशासन-II)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th November, 2016

**G.S.R. 236.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi-Tasking Staff Recruitment Rules -2011, namely:—

1. (i) These rules may be called the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi-Tasking Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi-Tasking Staff Recruitment Rules, 2011,-

- (1) in rule 2, for the words “Pay Band and Grade Pay/Pay scale” of both the places where they occur, the words “the level in the pay matrix” shall be substituted;
- (2) in the Schedule, in column (4),-
  - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-  
“Level in the pay matrix”;
  - (b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Level-1 (Rs.18000-56900)”.

[F. No. A-12015/01/2010-Admn.(Pt.)]

VINAY CHAUDHURY, Dy. Secy. (Admn.II)

**अंतरिक्ष विभाग**

बेंगलूर, 28 नवम्बर, 2016

**सा.का.नि. 237.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2004 एवं 2009 के अधिक्रमण में, अब तक, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं प्रधान निजी सचिव के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में समूह 'क' के पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - इन नियमों को आशुलिपिकीय कर्मचारियों के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग (वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 कहा जाए,

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा श्रेणी वेतन** - उक्त से संबंधित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

**4. अपात्रता**

(क) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

**अथवा**

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट मिली हो।

5. **छूट देने का अधिकार**- जहां कहीं भी केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है तो, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दी जा सकती है।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
(1) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	2* (2016) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, उपरोक्त के अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
<b>(क) पदोन्नति :-</b> (i) अंतरिक्ष विभाग में प्रधान निजी सचिव जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अंतरिक्ष विभाग में प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/परियोजना वैयक्तिक सचिव के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में कम-से-कम 5 वर्षों की सेवा या 12 वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो। (ii) अंतरिक्ष विभाग में निजी सचिव जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8/9 में 14 वर्ष की सेवा की हो। <b>(ख) प्रतिनियुक्ति:-</b> केंद्र सरकार में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में सदृश पदों को धारित करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी पूर्व-संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए, समान अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में तत्काल नियुक्ति पर जाने को शामिल करते हुए सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के अंतिम दिनांक तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	<b>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:</b> 1 अपर सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष 2 संयुक्त सचिव (कार्मिक), अं.वि. : सदस्य 3 संयुक्त सचिव (वित्त), अं.वि. : सदस्य 4 वैज्ञानिक सचिव, इसरो : सदस्य	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने से छूट प्राप्त है।

1	2	3	4	5	6
(2) प्रधान निजी सचिव	1* (2016) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, उपरोक्त के अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
<b>(क) पदोन्नति :-</b> अंतरिक्ष विभाग में निजी सचिव एवं परियोजना वैयक्तिक सचिव जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अंतरिक्ष विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 और/या स्तर 9 में कम-से-कम 6 वर्षों की सेवा की हो। <b>(ख) प्रतिनियुक्ति:-</b> केंद्र सरकार में 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सदृश पदों को धारित करने वाले अधिकारी।	<b>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:</b> 1 अपर सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष 2 संयुक्त सचिव (कार्मिक), अं.वि. : सदस्य 3 संयुक्त सचिव (वित्त), अं.वि. : सदस्य 4 वैज्ञानिक सचिव, इसरो : सदस्य	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने से छूट प्राप्त है।



(प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी पूर्व-संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए, समान अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में तत्काल नियुक्ति पर जाने को शामिल करते हुए सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के अंतिम दिनांक तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
---	--	--

[सं. 2/9/1/2004-I]

के.वी. लक्ष्मण कुमार, उप सचिव

**DEPARTMENT OF SPACE**

Bangalore, the 28th November, 2016

**G.S.R. 237.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Space (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2004 & 2009, in so far as they relate to the posts of Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Department of Space, namely :-

**1. Short title and commencement** – These rules may be called the Department of Space (Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2016, in respect of Stenographic Staff.

**2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, Age limit, Qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualification** – No person, –

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1) Senior Principal Private Secretary	2* (2016) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 12 in the Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>(a) <b>Promotion :-</b></p> <p>(i) Principal Private Secretary in the Department of Space in Level 11 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years service or 12 years combined service as Principal Private Secretary/Private Secretary/Project Personal Secretary in the Department of Space rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>(ii) Private Secretary and Project Personal Secretary in the Department of Space in Level 8/9 in the Pay Matrix with a minimum of 14 years service rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>(b) <b>Deputation :-</b> Suitable officers holding analogous posts in the Level 11 in the Pay Matrix with 5 years regular service in Central Government.</p> <p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional : Secretary, Chairman Department of Space</li> <li>2. Joint : Member Secretary (Personnel) Department of Space</li> <li>3. Joint : Member Secretary (Finance) Department of Space</li> <li>4. Scientific : Member Secretary, ISRO</li> </ol>	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

1	2	3	4	5	6
2) Principal Private Secretary	1*(2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 11 in the Pay Matrix	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

11	12	13
<p>(a) <b>Promotion</b> Private Secretary and Project Personal Secretary in Level-8 and/or in Level 9 in the Pay Matrix in the Department of Space with a minimum of 6 years service in the levels rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>(b) <b>Deputation</b> Suitable officers holding analogous posts or in Level-10 in the Pay Matrix with 8 years regular service in Central Government. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Secretary, Department of Space : Chairman</li> <li>2. Joint Secretary (Personnel) Department of Space : Member</li> <li>3. Joint Secretary (Finance) Department of Space : Member</li> <li>4. Scientific Secretary, ISRO : Member</li> </ol>	<p>Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission</p>

[No. 2/9/1/2004-I]

K.V. LAKSHMANA KUMAR, Dy. Secy.

### उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

#### (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

**सा.का.नि. 238.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और बम्बई, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 1975 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हताएं:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत)	18* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री; और	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष <b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

<p>(ii) किसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का एक वर्ष का अनुभव अथवा मोटर्स या स्विचगियर्स या प्रकाश और प्रकाशमापन या बैटरीज़ या केबल या इलैक्ट्रिकल उपस्कर इत्यादि जैसे इलैक्ट्रिकल स्टोर्स के परीक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव, भारतीय मानक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रोतकनीकी आयोग के मानदंडों के अनुसार इलैक्ट्रिकल मापन यंत्र एवं उपकरण के मापांकन का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसे वैज्ञानिक सहायक (विद्युत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b> 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b> 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर</p>	<p>3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	
--	---	--

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी (कैमिकल)	40* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन अथवा माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल टैक्नॉलॉजी या कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा अनुसंधान एवं विकास कार्य अथवा अयस्क, खनिज, धातु अथवा तेल एवं ईंधन तथा विभिन्न जैविक एवं अजैविक उत्पाद अथवा पेंट एवं पॉलीमर सामग्री के विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के</p>	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष <b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b>  ऐसे वैज्ञानिक सहायक (कैमिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा कि है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



<p>किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण- 2 :</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-विध्वंसक)	08* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा एक्स-रे विवर्तन या विफल इंजीनियरिंग सामग्री पर गैर-विध्वंसक तथा मेटलोग्राफी परीक्षण विधि द्वारा निरीक्षण कार्य में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष <b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

<p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसे वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण-1 :</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण- 2 :</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल)	12* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री; और</p> <p>(ii) मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> <p><b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>ऐसे वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी सिविल)	08*(2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रबड़ प्लास्टिक कपड़ा)	07* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल इंजीनियरिंग अथवा कपड़ा तकनीकी अथवा रबड़ तकनीकी अथवा प्लास्टिक तकनीकी अथवा पॉलीमर एवं रबड़ तकनीकी अथवा कैमिकल तकनीकी में डिग्री; और</p> <p>(ii) कपड़ा अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा पेपर अथवा चमड़ा और उनके उत्पाद के परीक्षण में कार्यरत प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> <p><b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।</p>	<p>70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</li> <li>वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</li> <li>अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काँडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/07/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 7th December, 2016

**G.S.R. 238.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta and Bombay, Scientific Officers Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Officers in the National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in the pay matrix .**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** - The method of recruitment to the posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific Officer (Electrical).	18* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<b>Not exceeding 30 years.</b> (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Electrical and Electronic Engineering or Degree in Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One year's experience of advanced electrical or electronics measurements in a Laboratory or one year's experience in the field of testing and development of Electrical Stores like Motors or Switchgears or Lamp and Photometry or Batteries or Cables or Electrical Accessories etc. experience Calibration of Electrical measuring instruments and equipments as per Indian Standard or International Standardisation Organisation or International Electrotechnical Commission Norms.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>50% by promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by direct recruitment.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Scientific Assistant (Electrical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <p>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation(including short term contract)**

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in

- 2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member

**Group 'B' Departmental Confirmation Committee :**

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member

<p>the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 ( the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Officer (Chemical).	40* (2016) (* Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100	Selection.	<p><b>Not exceeding 30 years.</b> (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Master's Degree in Microbiology or Degree in Chemical Technology or degree in Chemical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One year's experience in an</p>	<p>Age : No Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>50% by promotion failing which by Deputation including short term contract., 50% by direct recruitment.</p>

<p>analytical or Chemical Testing Laboratory or one year's Experience of Research &amp; Development work or analysis of ores, Minerals, metals or Oil &amp; Fuel and various Organic and Inorganic products or paint or polymer materials.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Scientific Assistant (Chemical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation (including short term contract)**

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommen-

<p>fications has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3. Scientific Officer</b> ( Non – Destructive)	08* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p><b>Not exceeding 30 years.</b> (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in Non-destructive testing Laboratory or one year's experience in X-Ray Diffraction or investigation work on failure Engineering Material by Non-destructive and metallographic methods of testing.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is or are</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>33% by promotion failing which by deputation (including short term contract), 67% by direct recruitment.</p>



relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Scientific Assistant (Non-Destructive) with two years regular service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract)</b> Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

<p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 ( the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific Officer (Mechanical).	12* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p><b>Not exceeding 30 years.</b> (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Mechanical Engineering or Degree in Metallurgy from a recognised University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in Mechanical testing Laboratory or one year's experience in Research and Development in allied field.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational</p> <p>Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>50 % by promotion failing which by deputation including short term contract., 50% by direct recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Scientific Assistant (Mechanical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract)</b></p> <p>Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

<p>Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 ( the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientific Officer (Physical Civil).	08* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Scientific Assistant (Physical - Civil) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract)</b> Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 ( the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Officer (Physical Rubber Plastic Textile)	07* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p><b>Not exceeding 30 years.</b> (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry or Degree in Chemical Engineering or Degree in Textile Technology or Degree in Rubber Technology or Degree in Plastic Technology or Degree in Polymer &amp; Rubber Technology or Degree in Chemical Technology from a recognized University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in a Laboratory engaged in the testing of Textile or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products or one year's experience in Research and Development in the allied fields.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p><b>Note:</b> Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>70% by promotion failing which by deputation including short term contract., 30% by direct recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Scientific Assistant (Physical Rubber Plastic Textile) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</li> <li>2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member</li> <li>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</li> <li>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

<p><b>Deputation (including short term contract)</b>  Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or  (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

[ F. No. A-12018/07/2014- NTH ]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)



नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

**सा.का.नि. 239.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती नियम, 2015 को अधिकांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, निजी सचिव भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे- मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न पे- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे- मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	01* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' - राजपत्रित, अनुसचिवीय	पे- मैट्रिक्स में स्तर 7, रुपये 44900-142400	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने पे- मैट्रिक्स स्तर 6, रुपये 35400-112400 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के अनुवर्ती स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे आशुलिपिक:-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे- मैट्रिक्स स्तर 6, रुपये 35400-112400 या समकक्ष में मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी हैं:</b></p> <p>1. निदेशक ग्रेड 2 या वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</p> <p>2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव/उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण- 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण- 4:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का पे- मैट्रिक्स सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) तक विस्तारित होगा जिसके लिए पे मैट्रिक्स स्तर बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे- मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. ए-12018/08/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 7th December, 2016

**G.S.R. 239.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the National Test House, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.-** No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	01* (2016) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level 7 in the pay matrix, Rupees 44900-142400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<b>Promotion :</b> Stenographer Grade I in the level 6 in the pay matrix, Rupees 35400-112400 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. <b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-</b> 1. Director Grade II or Senior most Scientist 'D', National Test House – Chairman 2.. Administrative Officer, National Test House – Member 3. Under Secretary/Deputy Director, Department of Consumer Affairs - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation :**

Stenographers under the Central Government:

- (i) holding analogous posts on regular basis ; or
- (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix, Rupees 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department.

**Note 1 :** The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

**Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/08/2014- NTH ]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

**सा.का.नि. 240.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में निदेशक (श्रेणी-2) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न पे-मैट्रिक्स स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक (श्रेणी-2)	04* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 रुपये 118500-209200/-	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-संभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए चिह्नित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन (शुद्ध या व्यावहारिक)/भौतिकी (शुद्ध या व्यावहारिक) में स्नाकोत्तर की डिग्री या इंजीनियरिंग या धातुकर्म या वस्त्र/रबड़ प्रौद्योगिकी में डिग्री या उसके समकक्ष।</p> <p>(ii) पदार्थों के परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रबंधकीय कार्य का 12 वर्ष का अनुभव और पदार्थ विज्ञान की किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला या संस्थान में पदार्थ व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/भौतिकी में डाक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग/धातुकर्म/प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर की डिग्री या उसके समकक्ष।</p> <p>(ii) प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव विशेषकर किसी प्रयोगशाला में।</p> <p>(iii) औद्योगिक सामग्री तथा परीक्षण संबंध पद्धति में अनुसंधान का अनुभव।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: हां</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12, रुपये 98800-209200/- में विभागीय वैज्ञानिक 'डी' जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पणी 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता</p>	<p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</b></p> <p>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य : अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला; और : सदस्य</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है):-</b></p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(ग) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर धारित समतुल्य पद धारण कर रहे हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12, रूपये 78800-209200/- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(घ) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण-1 :</b> फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-3:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>3. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p><b>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</b></p> <p>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</p> <p>2. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	
---	--	--



<p><b>टिप्पण- 4 :</b> प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/3/1998-एन टी एच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)

New Delhi, the 6th December, 2016

**G.S.R. 240.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) National Test House, Kolkata, Director (Grade II), Recruitment Rules, 2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Grade II) in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.-** (1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), National Test House, Director (Grade II) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc. -** The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Grade-II)	04* (2016) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix rupees 118500-rupees 209200.	Selection	<p>Not exceeding 50 years (relaxable for Government Servants by five years' in accordance with the instructions issued by the Central Government).</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>ESSENTIAL:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry(Pure/Applied)/, Physics (Pure/Applied) or Degree in Engineering or Metallurgy or Textile / Rubber Technology of a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) twelve years' experience in Managerial capacity in the field of testing and evaluation of materials and knowledge of their behavior in a laboratory or institution of standings specialising in Material science.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualification: Yes</p>	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

<p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be able available to fill up the posts reserved for them.</p> <p><b>DESIRABLE:</b></p> <p>(i) Doctorate Degree in Chemistry/ Physics or Post Graduate Degree in Engineering/Metallurgy/Technology from a recognised University or equivalent ;</p> <p>(ii) Administrative experience preferably in a laboratory; and</p> <p>(iii) Research experience in Industrial materials and testing methodology.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>The departmental Scientist D in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 with five years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Deputation (Including Short-term Contract)</b></p> <p>Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/ Research Institute/Universities.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission - Chairman</li> <li>2. Director General, National Test House - Member and</li> <li>3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Consumer Affairs.- Member</li> </ol> <p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General, National Test House - Chairman; and</li> <li>2. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member</li> </ol>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

<p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p><b>Note 1.</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2.</b> Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p><b>Note 3.</b> The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level extended based on the recommendations of the said Pay Commission</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/3/1998-NTH]

D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)